280

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी / एलआर / 2005 / 777 / सीकर
डालूराम बनाम विरदाराम

एकल-पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :-
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्रीमती ज्योती पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 19 जुलाई, 2022

निर्णय

1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-84 सपठित धारा-9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय तहसीलदार, दातारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3-5-1960 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जीणवास में स्थित आराजी खसरा नम्बर-19/216 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन शमशान है जो वरवक्त जागीर के समय से ही राजस्व रिकार्ड में इसी माफिक चली आ रही है। यह भूमि तत्कालीन जागीरदार की खतौनी बन्दोबस्त में खाता संख्या-58 में मकबुजा ठिकाना बिलानाम लगानी दर्ज थी एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के बाद मकबूजा सरकार दर्ज है। धारा-16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती है। यह प्रार्थी के शमशान की भूमि अन्य लोगों के साथ प्रार्थी के चली आ रही है। इस भूमि पर कभी अप्रार्थी के पिता अर्जुन ने काश्त नहीं की और अर्जुन के मरने के बाद उसके पुत्र अप्रार्थी ने कभी भी काश्त नहीं की। किन्तु इस भूमि को लेकर प्रार्थी एवं अन्य ग्राम जीणवास के लोगों के एवं अप्रार्थी के मध्य कई विवाद चल रहे हैं। अप्रार्थी इस भूमि का उपयोग पूर्ववत नहीं करने दे रहा, बल्कि इस भूमि पर स्थित पेड़ों को काट रहा है एवं प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद कर रहा है। अतः प्रार्थी एवं गांव जीणवास वालों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि इस नामान्तरकरण को माननीय न्यायालय के सुपरवाईजरी शक्तियों के तहत निरस्त करायें और इसी आशय के अपने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2005 / 777 / सीकर डालूराम बनाम विरदाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक की राय पर प्रार्थी तहसीलदार दातारामगढ़ के आदेश दिनांक 3-5-1960 नामान्तरकरण संख्या-1 से व्यथित होकर एक निगरानी संख्या-18/97 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस निगरानी का निर्णय दिनांक 18-7-2002 को किया जा चुका था जिसके तहत निगरानी स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या-1 दिनांक 3-5-1960 निरस्त कर दिया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने एक रिट माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 30-9-2004 को किया गया जिसके तहत रिट स्वीकार करते हुये राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 18-7-2002 निरस्त कर दिया गया और प्रकरण पुनः उभय पक्षों को सुनकर निर्णय करने हेतु राजस्व मण्डल को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण पुनः नम्बर-777/2005 पर दर्ज किया गया और अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार दातारामगढ़ का आदेश दिनांक 3-5-1960 विरूद्ध न्याय नियम व रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। नामान्तरकरण में लिप्त कृषि भूमि खसरा नम्बर-19/216 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा गैर मुमकिन शमशान है, राजस्व रिकार्ड में ऐसा दर्ज है और इसी उपयोग में ली है। सार्वजनिक उपयोग का होने से धारा-16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस भूमि पर धारा-15 के तहत कोई खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते और ना ही अप्रार्थी के पक्ष में ही उत्पन्न होता। तहसीलदार दातारामगढ़ का आदेश दिनांक 3-5-1960 मूलतः क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी के पिता अर्जुन इस भूमि का जागीरदार का टिनेन्ट नहीं था और ना राज्य सरकार का ही टिनेन्ट था। ऐसी स्थिति में एक साल का लगान जमा कराने मात्र से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। तहसीलदार दातारामगढ़ का आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 2005 / 777 / सीकर** **डालूराम बनाम विरदाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है वरन् अतिरिक्त जिला कलेक्टर को है। अतः जामान्तरकरण संख्या-1 क्षेत्राधिकार से परे जाकर तसदीक किया है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर धारा-9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मान्य न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार दातारामगढ़ के आदेश दिनांक 3-5-1960 निरस्त फरमाये जाये।

5- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा संवत 2012 से पूर्व का है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-15 के अन्तर्गत वे स्वतः ही खातेदार काश्तकार बन गये हैं। तहसीलदार दातारामगढ़ द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या-1 पूर्णतः विधि मान्य व उचित है। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर में विचाराधीन है। यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध सीधे ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर दी गयी है जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिये यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1- आरआरडी-1982 पेज-524
2- आरआरडी-1988 पेज-201
3- आरआरटी-2010(1) पेज-69
4- आरआरडी-2005 पेज-83
5- आरआरडी-2005 पेज-146
6- आरआटी-2017(2) पेज-1328

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

7- पत्रावाली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर / 2005 / 777 / सीकर डालूराम बनाम विरदाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नामान्तरकरण संख्या-1, तहसीलदार दातांरामगढ़ ने दिनांक 3-5-1960 को तस्दीक किया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या-5 कृषक का नाम विवरण सहित में भूमि सिवायचक अंकित है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन शमशान अंकित है। विशेष विवरण के कॉलम में "श्रीमानजी सायल संवत 2012 से 2016 तक लगातार काश्त करता आ रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-15 के तहत हक खातेदारी देना वाजिब है दस्तखत नाथूलाल पटवारी हल्का" अंकित है। उक्त नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट अंकित की है कि "श्रीमान अर्जुन पुत्र हरजी कौम जाट के नम्बर-19/216 की 11 बीघा आराजी संवत 2012 से 2016 बहैसियत उप कृषक काश्त में रही है। अतः खसरा नम्बर-19/216 की 11 बीघा आराजी के हस्ब दफा-15 खातेदारी हक श्री अर्जुन पुत्र हरजी जाट का मन्जूर किया जाता है, 11 बीघा के एक साल के लगान भी जमा करावें। पटवारी इस पर श्री अर्जुन को इस आदेश की सूचना दिये जावें, अमल किया जावे।" कॉलम संख्या-11 मे जिसके पक्ष में नामान्तरकरण खोला है उसका नाम व पता अंकित है जिसमें अर्जुन पुत्र हरजी कौम जाट साकिन देह अंकित है।

8- इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर-19/216 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार दातांरामगढ़ ने अर्जुन पुत्र हरजी कौम जाट साकिन देह के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दी जिसका आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-15 को माना है। ज़बकि धारा-15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार केवल सहायक जिला कलेक्टर को है तहसीलदार को नहीं।

9- यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन शमशान की भूमि है जिस पर खातेदारी देने का कोई भी अधिकार तहसीलदार को नहीं है। धारा-15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 2005 / 777 / सीकर** **डालूराम बनाम विरदाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खातेदारी प्रदान करने का अधिकार सहायक कलेक्टर को दिये हुये हैं, ना कि तहसीलदार / उप तहसीलदार को। क्योंकि विवादित भूमि शमशान की भूमि है जिसकी किस्म परिवर्तन किये बिना उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं और मौखिक साक्ष्य के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

10- खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011-2012 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 19/216 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन शमशान ठाकुर मंगलसिंह जी मजकूर का नाम अंकित है। इसमें अप्रार्थी एवं उसके पूर्वजों का कोई नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है और ना ही उनकी काश्त दर्ज है। अतः तहसीलदार ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर केवल 4 साल का कब्जा मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये, वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

11- इस प्रकार तहसीलदार दातांरामगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या-1 दिनांक 3-5-1960 विधि के प्रावधानों के विरूद्ध खोला जाकर तहसीलदार दातांरामगढ़ ने गंभीर त्रुटि कायम की है। इस प्रकार की त्रुटि जहां पर कि तहसीलदार का क्षेत्राधिकार ही था, को धारा-221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा-9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व मण्डल को उक्त निगरानी को सुनने का श्रवणाधिकार है। इस प्रकार जो कोई भी अवैध आदेश/निर्णय प्रदान किया जायेगा उसे राजस्व मण्डल द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त निस्तारित कर दिया जावेगा।

12- इस प्रकरण में अप्रार्थीगण का यह कथन कि राजस्व मण्डल को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी / एलआर / 2005 / 777 / सीकर **डालूराम बनाम विरदाराम**	
	न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वे इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 13- उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या-1 दिनांक 3-5-1960 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। sd/- 1/7/2022 (हरि शंकर गोयल) सदस्य	